

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 112/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

इंडसइंड बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी लोकेश कुमार
रजिस्टर्ड कार्यालय:- नं. 34, जी.एन., चेट्टी रोड, चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, 5वीं मंजिल,
युनिक एस्पायर बिल्डिंग, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. अन्नू कंवर केयर ऑफ हनुमान सिंह, निवासी वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, सीकर, राजस्थान 332001 एवम पट्टा नं. 4205, वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, सीकर, राजस्थान 332001
2. संजु कंवर केयर ऑफ हनुमान सिंह, निवासी वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, सीकर, राजस्थान 332001
3. भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह, निवासी वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, सीकर, राजस्थान 332001
4. रिछपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह, निवासी वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, सीकर, राजस्थान 332001
5. किशन सिंह केयर ऑफ सुगन सिंह, निवासी वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, सीकर, राजस्थान 332001 एवम किशन फास्ट फुड कॉर्नर, राणी सती सर्किल के पास, सीकर, राजस्थान 332001

—अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 20 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री बी.पी.गुप्ता द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः अन्नू कंवर, संजु कंवर, भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह, रिछपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं किशन सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूमि पट्टा नम्बर 4205, वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, तहसील एवं जिला सीकर (राज.) 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 182 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान रूप सिंह जी घाणा वाले, पश्चिम दिशा में मकान नारायणी देवी, उत्तर दिशा में मकान सम्पतसिंह व रास्ता एवं दक्षिण दिशा में मकान दयाल जी व भगवान जी ठठेरा स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹13,85,000/- (अक्षरे रूपये तेरह लाख पिचासी हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.02.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अतुल चौधरी उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण राशि भुगतान सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.02.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के


(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **अन्नू कंवर, संजु कंवर, भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह, रिछपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह एवं किशन सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूमि पट्टा नम्बर 4205, वार्ड नं. 22, रामलीला मैदान के पीछे, तहसील एवं जिला सीकर (राज.) 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 182 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान रूप सिंह जी घाणा वाले, पश्चिम दिशा में मकान नारायणी देवी, उत्तर दिशा में मकान सम्पतसिंह व रास्ता एवं दक्षिण दिशा में मकान दयाल जी व भगवान जी ठटेरा स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **20 नवम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर